न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

वाद नं0 51 /2023 तारीखवजू:- 23/6/2023

उनवानः- दिलीप सिह बनाम शिमला वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

नांक	फर्द अहकाम
23/6/23	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु कंटक एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 24.07.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1784/0.01, 1785/0.14, 1786/0.14, 1787/0.08, 1785/0.14, 1788/0.29, 268/0.22, 279/0.12, 280/0.12, 3442/0.03, 3443/1.64, 3444/0.63, 2886/0.16, 2887/0.20, 2888/0.17, 2889/0.14, 3650/0.33, 3651/0.33, 3620/0.70, 3621/0.59, 3454/0.89, 3666/0.23, 3667/0.67, 3670/0.82 है0 स्थित ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाए रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा वहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। 2431-38 23/6/2023	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:24 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

फर्द अहकाम

5/24 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी....अवकाश पर पधारे है)
पत्रावली गतानुसार दिनांक....17.5.24
को पेश हो।

वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी....पुनाव की V.C में पधारे है।
पत्रावली गतानुसार दिनांक....12.6.24
को पेश हो।

12/6/24 पत्रावली पेश हुई/प्रार्थी वकील उपस्थित गतानुसार दिनांक 16.7.24को पेश हो/

16/7/24 पत्रावली पेश हुई/प्रार्थी वकील उपस्थित प्रार्थी वकील को अप्रार्थी नं। लगायत 5 के नोटिस सही पते पर पेश करने की प्रार्थी वकील को हिदायत दी गई/ वास्ते तामिली उभ जवाब दिनांक 21.8.24 को पेश हो/

21/8/24 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी....भ्रमण पर पधारे है) है।गतानुसार दिनांक 25.9.24. को पेश हो

पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पर दिनांक 25-9-24 से तलब की Notpress साथलान ठस्ट प्रार्थना पत्र को (पाइले है) वकील सामल ने प्रार्थना पत्र 28/08/24 को नोट प्रेस किया प्रार्थना पत्र का कानलीकरण किया प्रार्थी वकील को सुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जि

दिनांक	फर्द अहकाम

गया प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस मे खरिज करवाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोटप्रेस मे खारिज किया जाता है। प्रार्थी पेंशन शुमार होकर नम्बर से कर्मकट डाखिल हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:24 IST
Reason: SelfAttested